न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी--श्री राजीव द्विवेदी आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या--59 / 18 (राजस्व प्रार्थना पत्र) दायर दिनाकः-- 12/10/2018

निर्णय दिनाकः-- 16/09/2020

अनवान

1-- श्री गोतम पिता प्रताप पाटीदार निवासी भासौर तहसील सागवाडा

(प्रार्थी)

बनाम

1-- भुमिधारी राज्य सरकार जरीये तहसीलदार सागवाडा

(अप्रार्थी)

वकील प्रार्थी --श्री निखिल सोमपुरा

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट

आदेश

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी गॉव भासौर का निवासी है प्रार्थी के चाचा प्रताप के एक मात्र पुत्र थोबजी की अल्प आयु मे मृत्यु हो जाने से जरीए पंजिकृत गोदनामे से गोद पुत्र रखा गया है। प्रार्थी को प्रताप के वहॉ गोद रखे जाने पर प्रार्थी के समस्त आवश्यक दस्तावेजो मे प्रार्थी का नाम गौतम पिता वेलजी के स्थान पर गौतम पिता प्रताप पाटीदार दर्ज करवा दिया और प्रार्थी को इसी नाम से जाना पहचाना जाता है। प्रार्थी के खातेदारी कब्जेदारी की कृषि भुमि मौजा भासौर मे खाता संख्या 209 / 197 कुल खसरा 6 कुल रकबा 3 बिघा 5 बिस्वा, खाता संख्या 205 / 191 कुल खसरा 15 कुल रकबा 4 बिघा 6 बिस्वा एव खाता संख्या 291 / 228 कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.3889 हेक्टर की स्थित है जिसमे से खाता संख्या 209 / 197 कुल खसरा 6 कुल रकबा 3 बिघा 5 बिस्वा मे प्रार्थी का नाम गौतम पिता प्रताप दर्ज रेकार्ड है परन्तु सेवन से खाता संख्या इ205 / 191 कुल खसरा 15 कुल रकबा 4 बिघा 6 बिस्वा एव खाता संख्या 291 / 228 कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.3889 हेक्टर की जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम गौतम पिता थोबजी अकिंत हो गया है। जबकी थोबजी प्रार्थी का चचेरा भाई हो उसकी मृत्यु हो जाने से वह उसके पिता प्रताप के वहॉ गोद पुत्र के रूप मे रह रहा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर

205 / 191 कुल खसरा 15 कुल रकबा 4 बिघा 6 बिस्वा एव खाता संख्या 291 / 228 कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.3889 हेक्टर के राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी का नाम गौतम पिता थोबजी के स्थान पर गौतम पिता प्रताप अकिंत किया जावे।

यह कि प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र नियमानुसार दर्ज किया जा प्रतिवादी को सम्मन जारी किए गये सम्मन तामिल पर अप्रार्थी की ओर से अपना यह जवाब पेश प्रकरण से कोई इत्तफाक नही रखता है उसके द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया है कि वक्त नामान्तरण अशुद्वि हुई है जिसे शुद्व किया जाना उचित है। जिस पर न्यायालय के द्वारा वाद विषय पर विवाद शेष नही होने से प्रकरण का निस्तारण इस स्टेज पर किया जाता है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया एव विद्वान अभिभाषक के तथ्यो पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड अनुसार 205 / 191 कुल खसरा 15 कुल रकबा 4 बिघा 6 बिस्वा एव खाता संख्या 291 / 228 कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.3889 हेक्टर मे प्रार्थी के नाम की अशुद्वि हुई है जिसे सुधार किया जावे। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का नाम विवादित खातो मे गौतम पिता प्रताप पाटीदार दर्ज किया जावै। पालना हेतु तहरीर नियमानुसार अप्रार्थी को जारी की जावे। पालना रिर्पोट आने पर उसे शामील पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाती है। पत्रावली नम्बर के कम हो दाखिल दफ्तर होवें।

निर्णय आज दिनाक 16/09/2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजीव द्विवेदी)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा